कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)
Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com Tel.No. : 01374-223730

पत्रांक– 22 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 / दिनांक 8 / 02 / 2018

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग,
बडकोट (उत्तरकाशी)।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज–7 के अन्तर्गत खराडी से स्यालना, भन्साड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.64 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन स्वीकृति का प्रस्ताव।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक सं0 1865 / 12–1 दिनांक, बडकोट, 24.01.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रो एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के माध्यम से भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0 FP/UK/Road/9709/2015 में लगायी गयी ई0डी0एस0 क्वेरी में बिन्दु सं0 02 एव 04 पार्ट II की है। जोकि आपके स्तर से निराकरण किया जाना है बिन्दुसंख्या 05 में Part-IV & V की मांग की गयी है जो कि अन्य उच्च स्तरों द्वारा उपलब्ध करवाया जाना है। एवं शेष अन्य बिन्दु पार्ट–I में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नानुसार है–

आपत्ति	निराकरण
1. In reply to point No.7, details of employment likely to be generated during the construction of project given at para-E Part-I online still appear to be incorrect.	Para-E Part-I मे रोजगार का विवरण संशोधित कर ऑनलाईन किया जा चुका है।
2. In reply to point No. 13, revised digital map &KML file of CA area has now been uploaded but patch wise detail is not provided at para-13.Part-II, which may be done.	यह आपत्ति (Para-13 Part-II) भाग 2 स्तर की है जिसका निराकरण डी0एफ0ओ0 द्वारा किया जाना है।
3. In reply to point No.15, it is mentioned that muck generated during te construction of the road will be disposed off in Nap Land, but the same in not filled up in component wise breakup at para B2.4 Part-I online.	Para-B-2.4 Part-I के component wise breakup में मलावा निस्तारण सम्बन्धित प्रविष्टी पार्ट 1 मे ऑनलाईन कर दी गयी है।
4. In reply to point No.18.CA stipulated is still not commensurate with the forest land diverted.	यह आपत्ति पार्ट–2 से सम्बन्धित है तथा इस का निराकरण डी0एफ0ओ0 स्तर द्वारा किया जाना है।
5. Original hard copy of the geo-referenced digital map of the area proposed for diversion, geo-referenced digital map of the area proposed for CA, FRA certificate alongwith all annexures and Part-IV & V is not received in this office, which may be submitted now.	समस्त प्रकार के डीजिटल / जियोरिफरेन्स मानचित्र तथा एफ0आर0ए0 के प्रपत्र पूर्व मे आपको मूल रूप मे उपलब्ध कराये जा चुके है तथा पार्ट–4, पार्ट–5 जो कि नोडल व राज्य सरकार स्तर से उपलब्ध किये जाने है जिसका निराकरण भी इन्ही स्तर द्वारा किया जाना है किन्तु फिर भी समस्त अभिलेखो की प्रति इस पत्र के माध्यम से आपको पुनः संलग्न कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध कराये जा रहे है।

अतः उपरोक्तानुसार इंगित बिंदुवार निराकरण ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये है एव आपसे अनुरोध है कि Part-II में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण अपने स्तर से करते हुये उक्त प्रस्ताव को जनहित मे अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रेषित करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला (उत्तरकाशी)

Scanned by CamScanner